न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 4/016

तारीख रजू 24.02.2016

1. अमर पुत्र गंगाधर
2. किशन पुत्र गंगाधर
3. मदन पुत्र परभाती
4. गज्जो पुत्र परभाती
5. बबलू पुत्र परभाती
6. रमेश पुत्र चिरंजी
7. नेमी पुत्र चिरंजी

} जातियान कारीगर निवासीयान जगर तह0 हिण्डौन जिला करौली

8. कैलाशचंन्द पुत्र कल्याण जाति ब्राहामण निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
9. दिनेश पुत्र कल्याण जाति ब्राहामण निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
10. मूलचंन पुत्र चिरंजी जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
11. खेमचंद पुत्र चिरंजी जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
12. ओमप्रकाश पुत्र सम्पत जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
13. अरमेश
14. शिवदयाल
15. शिवराम

} पिसरान लक्खी जातियान जोगी निवासीयान जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली

16. जगन्नाथ पुत्र बत्तू जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
17. अमृत पुत्र जगन्नाथ जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार हिण्डौन सिटी

2 टीकम पुत्र भरोसी
3 सुरेन्द्र पुत्र भरोसी
4 माखन पुत्र भरोसी
5 दीपू पुत्र भरोसी
6 विमला पुत्री भरोसी
7 मछला पुत्री भरोसी
8 भंवरी वेवा भरोसी

} समस्त जातियान जाटन निवासीयान जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली

9 रामराज पुत्र नत्थी जाति धोबी निवासी बर्रिया तहसील करौली

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व
(कृषि प्रयोजरार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970

निर्णय दिनांक 14.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि आम जनता की ओर से खिलाफ अप्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजरार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 के पेश कर अवगत कराया गया है कि साविक खसरा नं. 2059 मि. रकवा 4 वीघा चारागाह वाके ग्राम जगर तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसके नवीन खसरा नं. 4081 रवका 2.06 है0 व 4311 रकवा 1.64 है0 का भू–प्रवंध विभाग द्वारा कायम किये गये है। साविक आराजी अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के पिता व 8 के पति भरोसी पुत्र ख्याली जाति चमार को दिनांक 10.11.1975 को आवंटन होकर पटटा जारी किया गया था जिसमे अप्रार्थीयान के नाम भरोसी फौत होने पर गेरखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। आवंटन विधि विरूद्व हुआ है। चरागाह भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। जिसे निजि हित के लिए आवंटन नही किया जा सकता यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वर्जित है। भूमि पर आवंटन शर्तो के मुताविक कब्जा नही है। तहसीलदार ने दिनांक 14.08.2012 को विना जॉच पडताल किये ही इस भूमि को गेरखातेदारी से खातेदारी के अधिकार दे दिये गये है। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य सरपंच, विधायक मनोनीत सदस्य के हस्ताक्षर नही है, ना ही आवंटी स्वयं के हस्ताक्षर है। आवेदन पत्र में सभी तथ्य छुपाये गये है। विवादित आराजी में

उभयपक्षकारान अभिभाषकगणो की बहस सुनी। तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थीयान ने अपने बहस कथन में प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन कहा है कि विवादित आराजी विधिविरूद्व अप्रार्थी 2 ता 7 व 8 के पिता, पति को गलत तरिके से 1975 में आवंटन हुई है। भूमि पर अप्रार्थीयान का कोई कब्जा नही है। पानी की टंकी व आवादी बनी हुई है। आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है। गेरखातेदारी से खातेदारी अधिकार गलत तरिके से दिये गये है। अंत मे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान ने अपनी वहस कथन में कहा है कि भूमि पर कब्जा है। कब्जा होने के आधार पर ही गेरखातेदारी से खातेदारी देने का अधिकार प्राप्त हुए है। आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना करने के उपरन्त ही तहसीलदार ने गेरखातेदारी से खातेदारी का अधिकार दिये गये है, आवंटन विधि अनुसार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1975 में आवंटन हुआ है। प्रार्थीयान का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाये जावे।

अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया की साविक आराजी खसरा नं. 2059 मे से अप्रार्थी नं. 2 ता 7 व 8 के पिता, पति भरोसी पुत्र ख्याली जाति चमार को आवंटन नियम 1970 के नियमो के तहत 5 वीघा भूमि चारागाह से किस्म परिर्वतन करते हुए दिनांक 10.11.1975 को आवंटन होकर गेरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड हो गई। भरोसी फौत हो जाने पर उसके वारिस के तोर पर अप्रार्थीयान के नाम गेरखातेदारी दर्ज हाने पर वर्ष 2012 मे तहसीलदार ने विधिवत जॉच करते हुए दिनांक 14.08.2012 को गेरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये जिसका नामान्तकरण संख्या 263 दर्ज होकर दिनांक 03.04.2013 को स्वीकार हुआ ओर अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई। इस संदर्भ मे तहसीलदार से विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी सम्बत 2062 से निरन्तर चाही गई जिसमे विवादित आराजी में बंजड पडत व कभी–कभी बाजरा की फसल एवं आवादी पानी की टंकी की गिरदावरी की हुई है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी में देखने पर पाया गया की भू–प्रवंध विभाग ने साविक खसरा नं. 2059 के नवीन खसरा नं. 4081 व 4311 कुल किता 2 कुल रकवा 3.75 है0 बनाकर सयुक्त गेरखातेदारी दर्ज कर लिया गया है। जहॉ पर वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी में पानी की टंकी बनी हुई है। बहा पर राजस्व रिकार्ड के खसरा गिरदावरी मे ही पानी की टंकी व आवादी का इन्द्राज किया हुआ है इस प्रकार से विवादित आराजी में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा

भू–प्रवंध विभाग द्वारा अन्य आवंटियो के साथ–साथ इस आवंटन रकवे को शामिल करते हुए सभी की सयुक्त गेरखातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कर हिस्सा खोला गया है। तो हिस्सा दर्ज होने पर गिरदावरी से यह पता नही चलता है कि यह पानी की टंकी व आवादी किस गेरखातेदार के हिस्से की आराजी में है। अप्रार्थीयान को गेरखातेदारी से खातेदारी अधिकार तहसीलदार हिण्डौन ने अपने आदेश दिनांक 14.08.2012 से दिये गये है उसमे इस पानी की टंकी व आवादी को नही माना जा सकता। जब स्वयं (भूमिधारी) तहसीलदार अप्रार्थीयान का भूमि पर कब्जा सावित कर रहा है तो अप्रार्थीयान द्वारा आवंटन नियमो की शर्तो की पालना की स्वतः अपने आप मे हो जाती है। किन्तु पानी की टंकी मुताबिक खसरा गिरदावरी के किस गेरखातेदारी/खातेदारी की आराजी मे स्थित है जिसकी जॉच कराया जाना ही आवश्यक है। हम वकील अप्रार्थी के कथनो से सहमत है। हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रार्थीयान का आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) को प्रमाणित नही करता है।

अतः प्रार्थीयान का प्रार्थनापत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजरार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 का प्रार्थीयान सावित करने में नाकाम रहने पर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार हिण्डौन को निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजी खसरा नं. 4081 के रकवे मे मुताविक खसरा गिरदावरी में वर्णित पानी की टंकी व आवादी दर्ज कर रखी है जो भूमि अपने आप में कृर्षि से अकृर्षि मे परिर्वतित हो चुकी है इस सम्बंध में मौके की जॉच करते हुए इस रकवे को खातेदारी हक से समाप्त करने हेतु प्रथक से सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली